पटना में दिनांक–15 नवम्बर, 2022 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन– 2.0 (AMRUT-2.0) योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के गठन की मंजूरी तथा केन्द्रांश की राशि रूपया 26,20,00,00,000/–(छब्बीस सौ बीस करोड़) मात्र एवं इसके अनुपातिक राज्यांश यथा 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 75%, एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का दो तिहाई तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए परियोजना लागत का 50% की राशि के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। — **1. स्वीकृत**

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति तथा केन्द्रांश ₹1204.80 करोड़ (एक हजार दो सौ चार करोड़ अस्सी लाख रूपया) (व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय/ सार्वजनिक शौचालय के अन्तर्गत ₹37.90 करोड़, प्रयुक्त जल प्रबंधन के अन्तर्गत ₹666.5 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत ₹341.10 करोड़, सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन के अन्तर्गत ₹106.0 करोड़ एवं क्षमतावर्धन, कौशल विकास और ज्ञान प्रबन्धन के अन्तर्गत ₹53.30 करोड़ की राशि) एवं इसके अनुपातिक राज्यांश यथा व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय/ सार्वजनिक शौचालय एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत 10 (दस) लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 75%, एक लाख से 10 (दस) लाख तक आबादी वाले शहरों के लिए 67%, एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%; प्रयुक्त जल प्रबंधन के अन्तर्गत एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 50%; सूचना, शिक्षा, संचार और व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमतावर्धन, कौशल विकास और ज्ञान प्रबन्धन के अन्तर्गत सभी शहरों के लिए 40% की राशि के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। — **2. स्वीकृत**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

3.	बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25,00,00,000/- (पचीस करोड़) रूपये मात्र अग्रिम की राशि की स्वीकृति के संबंध में।	3. स्वीकृत

स्वास्थ्य विभाग

5.	डा0 मंजू कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नीमचक, बथानी, गया को दिनांक-03.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप मे सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	5. स्वीकृत

सहकारिता विभाग

6.	बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवंर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2011 के अध्याय-IV के नियम-9 की कंडिका (3) एवं (5) को दिनांक-15.05.2018 के प्रभाव से विलोपित करने हेतु बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन के सम्बंध में।	6. स्वीकृत

सामान्य प्रशासन विभाग

7.	बिहार जाति आधारित गणना-2022 हेतु ऐप एवं पोर्टल निर्माण के लिए परियोजना में परामर्शी के चयन पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय ₹2,44,94,440 (दो करोड़ चौवालीस लाख चौरानवे हजार चार सौ चालीस) रू० मात्र बेल्ट्रॉन, पटना को भुगतान करने पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	7. स्वीकृत

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा फरवरी, 2023 को विस्तारित कर मई, 2023 करने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति।	8. स्वीकृत

वित्त विभाग

9.	पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।	9. स्वीकृत

वित्त विभाग

10.	षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।	10. स्वीकृत

खान एवं भूतत्व विभाग

11. पटना, भोजपुर, सारण तथा अन्य जिलान्तर्गत नदियों से अवैध बालू खनन/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु हाई स्पीड बोट, चेन एवं अन्य उपस्कर क्रय हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹5,00,00,000/– (पाँच करोड़ रूपये) की अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। — **11. स्वीकृत**

खान एवं भूतत्व विभाग

12. खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय के लिए 04 खान निरीक्षकों के पदों की स्वीकृति कें संबंध में। — **12. स्वीकृत**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

13. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में फुड प्रोसेसिंग एण्ड प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रम एवं राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा में माईनिंग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु कुल–14 (चौदह) शैक्षणिक पदों (प्रत्येक संस्थान में विभागाध्यक्ष–01 एवं व्याख्याता–06) के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **13. स्वीकृत**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

14. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर (एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर) में बायोमेडिकल एण्ड रोबोटिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 12 (बारह) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (यथा प्राध्यापक–01, सह–प्राध्यापक–03 एवं सहायक प्राध्यापक–08) तथा लोकनायक जयप्रकाश प्रोद्योगिकी संस्थान, छपरा एवं कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार में फुड प्रोसेसिंग एण्ड प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक संस्थान के लिए 12 (बारह) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (यथा प्राध्यापक–01, सह–प्राध्यापक–03 एवं सहायक प्राध्यापक–08) अर्थात कुल–36 (छत्तीस) शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत**